झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा

दशम्-सत्र

वर्ग-03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, बुधवार, दिनांक:- 14 अग्रहायण, 1934 (श0) / 05 दिसम्बर, 2012 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

मांक	विभागों को संसूचित की गई सं0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	02.	03.	04.	05.	06.
1.	ग्राम-03	श्री शशांक शेखर भोक्ता	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	26.11.12
2.	ग्राम-12	श्री सुरेश पासवान	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	29.11.12
3.	पेय-02	श्री रामदास सोरेन	जल मिनार का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	28.11.12
4.	पथ-06	श्री अरूण मण्डल	पुलिया का निर्माण।	पथ निर्माण	28.11.12
5.	ग्राम्य-09	श्रीमती सुधा चौधरी	पुल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	28.11.12
6.	पथ-08	श्री ग्लेन जौसेफ गॉल्सटान	पथ को रूपानान्तरित करना।	पथ निर्माण	28.11.12
7.	ग्राम्य-01	श्री रामचन्द्र बैठा	पथ का कालीकरण।	ग्रामीण कार्य	26.11.12
8.	पथ-01	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	26.11.12
9.	पेय-01	श्री रामचन्द्र बैठा	जल मिनार को चालू कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.11.12

(कृ0पृ0उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06.
90. 30210	पथ-04	श्री कमलेश उरॉव	बाईपास पथ का निर्माण ।	पथ निर्माण ।	28.11.12
91.	पथ-02	डॉ0 सरफराज अहमद	पथ का रख रखाव कराना ।	पथ निर्माण ।	26.11.12
92.	पथ-07	श्रीमती गीताश्री उरॉव	नये पुल का निर्माण ।	पथ निर्माण ।	28.11.12
93. 30210	न- 03	श्री संजय कु0 सिंह यादव	हाईमास्क लाईट लगाना ।	नगर विकास ।	28.11.12
94. 30210	ग्राम्य-03	श्री प्रदीप यादव	पुल एवं सड़क का निर्माण ।	ग्रामीण कार्य ।	26.11.12
95. 30210	ग्राम-04	श्री अरूण मण्डल	पथ का मरम्मति कराना ।	ग्रामीण कार्य ।	26.11.12
96. 30210	ग्राम्य-07	श्री विद्युत वरण महतो	सड़क का निर्माण कराना ।	ग्रामीण कार्य ।	28.11.12
97. 30210	ग्राम-05	श्री विद्युत वरण महतो	पुलिया का निर्माण ।	ग्रामीण विकास ।	28.11.12
98. 30210	ग्राम-10	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पुल का निर्माण ।	ग्रामीण विकास ।	29.11.12
99. 30210	ग्राम-08	श्री अनन्त प्रताप देव	पुल का निर्माण ।	ग्रामीण विकास ।	28.11.12
100. 30210	ग्राम्य-11	श्री गुरूचरण नायक	सड़क का निर्माण कार्य कराना ।	ग्रामीण कार्य ।	28.11.12
101. 30210	ग्राम्य-06	श्री निर्भय कु0 शहाबादी	अंचल कार्यालय खोलने का विचार ।	ग्रामीण कार्य ।	26.11.12
102. 30210	न- 01	श्रीमती कुन्ती देवी	सड़क का निर्माण ।	नगर विकास ।	28.11.12
103. 30210	ग्राम-11	श्री सुरेश पासवान	नदी पर पुल बनाना।	ग्रामीण विकास ।	29.11.12
104. 30210	न-02	श्री ढुलू महतो	सफाई कार्य कराना ।	नगर विकास ।	28.11.12
105. 30210	पंचा-01	श्री जगरनाथ महतो	नये प्रखण्ड का सृजन ।	पंचायती राज ।	26.11.12
106. 30210	ग्राम-01	श्री जगरनाथ महतो	पुल का निर्माण ।	ग्रामीण विकास ।	26.11.12
107. 30210	ग्राम-06	श्री जनार्दन पासवान	पदाधिकारी का पदस्थापना ।	ग्रामीण विकास ।	28.11.12
108. 30210	पथ-03	श्री मन्नान मल्लिक	एक्सटेंशन पथ का निर्माण ।	पथ निर्माण ।	26.11.12
109. 30210	पंचा-02	श्री माधवलाल सिंह	विधि सलाहकार का मनोनयन ।	पंचायती राज ।	29.11.12
110. 30210	ग्राम्य-05	श्री फूलचन्द मण्डल	पथों का निर्माण ।	ग्रामीण कार्य ।	26.11.12
111. 30210	ग्राम्य-02	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	पथों का कालीकरण ।	ग्रामीण कार्य ।	26.11.12
112. 30210	ग्राम्य-08	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	पथों का निर्माण ।	ग्रामीण कार्य ।	28.11.12
113. 30210	ग्राम-07	श्री दीपक बिरूवा	कानूनी कार्रवाई करना ।	ग्रामीण विकास ।	28.11.12
114. 30210	ग्राम-04	श्री फूलचन्द मण्डल	पुल का निर्माण ।	ग्रामीण विकास ।	26.11.12

§कृ0पृ030§

01.	02.	03.	04.	05.	06.
115.	ग्राम-02	श्री शशांक शेखर भोक्ता	पुल का निर्माण ।	ग्रामीण विकास ।	26.11.12
116.	पथ-05	श्री अनन्त प्रताप देव	पथ का निर्माण ।	पथ निर्माण ।	28.11.12
117.	ग्राम-13	श्री चन्द्रशेखर दूबे	पुल का निर्माण ।	ग्रामीण विकास ।	29.11.12
118.	ग्राम्य-10	श्री संजय कु0 सिंह यादव	पथ का निर्माण ।	ग्रामीण कार्य ।	28.11.12
119.	ग्राम-09	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	प्रखण्ड में शामिल करना ।	ग्रामीण विकास ।	29.11.12
120.	भ- 01	श्री निजामुद्दीन अंसारी	मुकदमा दर्ज करना ।	भवन निर्माण ।	26.11.12

रांची,
दिनांक-05.12.2012 ई0 ।

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रांची ।

ज्ञाप संख्या- 3494 /वि0स0, रांची, दिनांक- 01 दिसम्बर, 2012 ई0 ।

प्रति:-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्रिगण/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अरुण कुमार पाण्डेय 01/12/12
(अरुण कुमार पाण्डेय)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रांची ।

ज्ञाप संख्या- 3494 /वि0स0, रांची, दिनांक- 01 दिसम्बर, 2012 ई0 ।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित ।

अरुण कुमार पाण्डेय 01/12/12
(अरुण कुमार पाण्डेय)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रांची ।

81

श्री शशांक शेखर भोक्ता, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 03

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री शशांक शेखर भोक्ता, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि देवघर जिले के पालोजोरी प्रखण्ड में 1. नवाडीह–आसनसोल (अजय नदी पर) 2. काशीडीह–लोकपुर,, 3. समलापुर–मिसराडीह (अजय नदी पर), 4. पथलजोर–बाराबांक, 5. सबैजोर–हरिपुर, 6. महलजोरी–कानाटॉड, 7. दुमदमी–फोफनाद आदि स्थानों में पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीण आबादी सम्पर्क विहीन है तथा बरसात के दिनों में एक बड़ी आबादी पंचायत, प्रखण्ड तथा जिला मुख्यालय से अलग–थलग पड़ जाती है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त सात स्थलों पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	नावाडीह–आसनसोल (अजय नदी) पर पुल निर्माण कार्य सरकार के प्रक्रियाधीन है। तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 03 में अंकित शेष पुलों के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 422 / 2012 9013 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3297 दिनांक 26.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 422 / 2012 9013 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त / सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 422 / 2012 9013 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

82

श्री सुरेश पासवान, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 12

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सुरेश पासवान, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के प्रखंड देवघर के पंचायत केनमनकाठी में भलसूमिया एवं बिसनपुर के बीच डुमरिया नदी पर पुल नहीं है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित स्थल पर पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी होती है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार भलसूमिया नदी में वर्णित स्थल पर पुल बनवाना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 12 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 434 / 2012 9012 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3418 दिनांक 29.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 434 / 2012 9012 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त / सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 434 / 2012 9012 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

83

श्री राम दास सोरेन, मा० स० वि० द्वारा दिनांकः 05.12.2012 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–02.

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		उप मुख्य (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर–
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत धालभूमगढ़ प्रखण्ड के धालभूमगढ़ ग्रामीण पाईप लाईन–पेयजल आपूर्ति योजना के तहत डीप बोरिंग से सीधे पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति की जाती हैः	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान में जलमीनार नहीं रहने के कारण पेयजल का संग्रह नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण कभी–कभी ग्रामीणों को 10–10 दिनों तक पेयजल आपूर्ति नहीं की जाती हैः	आंशिक स्वीकारात्मक है। जलमीनार के अभाव में विद्युत आपूर्ति के बाधित होने की स्थिति में जलापूर्ति बाधित होती है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्रों के ग्रामीणों को हमेशा पेयजलापूर्ति का संकट बना रहता हैः	अस्वीकारात्मक। पेयजल की उपरोक्त व्यवस्था के अलावे 16 (सोलह) चालू नलकूप द्वारा पेयजलापूर्ति की सुविधा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार खण्ड (1) में वर्णित स्थान पर जलमीनार निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान डीप बोरिंग का जीवन काल समाप्त हो गया है। नये डीप बोरिंग के निर्माण के लिए योजना का सूत्रण किया गया है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। निविदा आंमत्रित की जा रही है। डीप बोरिंग के निर्माण के उपरान्त इसके डिस्चार्ज के आधार पर जलमीनार का निर्माण किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 5/ता०प्र०–05/12 4949 राँची/दिनांकः 3.12.12

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांकः 3411, दिनांकः 28.11.2012 के क्रम में उत्तर की आवश्यक प्रतियां अग्रसारित।

3/12/12

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(85)

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्रीमती सुधा चौधरी द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–9

प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सुधा चौधरी, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखंड छतरपुर स्थित ग्राम–बाघमारा के पास वर्ष 2005 में राज्य संपोषित योजना मद से बांकी नदी पर छत्रधारी पुल का निर्माण हुआ था, जो चार माह पूर्व बरसात में पूर्णतः ध्वस्त हो गया जिसके कारण छतरपुर एवं विश्रामपुर प्रखंड के लगभग 50 हजार की आबादी का आवागमन प्रभावित हुआ है;	1. स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पुल के ध्वस्त होने से आए दिन दुर्घटना के कारण जान–माल की क्षति हो रही है;	2. स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उपर्युक्त स्थल पर पुनः पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. संबंधित पुल का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1245 / 2012.....3293.....राँची, दिनांक.....04.12.12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3396 दिनांक–28.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.12
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1245 / 2012.....3293.....राँची, दिनांक.....04.12.12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.12.12
सरकार के अवर सचिव

(86)

मान0, स0वि0स0, ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन द्वारा दिनांक 05.12.2012 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज विश्व का प्रथम एंग्लो इंडियन ग्राम है तथा यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, यहॉ कई ख्याति प्राप्त आवासीय विद्यालय है तथा खलारी प्रखंड के अन्तर्गत चामा मैक्लुस्कीगंज पथ रॉची, लातेहार एवं चतरा जिला को जोड़ता है, एवं इस पथ पर भारी वाहन चलतें है ; 2 क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा चामा मैक्लुस्कीगंज का सर्वे भी कराया गया है ; 3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त पथ को पी0डब्लू0डी0 पथ में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	पथ निर्माण विभाग के रोड नेटवर्क में हस्तांतरण हेतु सामान्यतः वैसे पथों को चुना जाता है जो राज्य की राजधानी या प्रमण्डलीय मुख्यालय से जिला मुख्यालय, अनुमंडल या प्रखण्ड मुख्यालय अथवा प्रमुख पर्यटन स्थल को जोड़ती है। सम्बद्ध पथ उक्त श्रेणी का नहीं है। फलस्वरुप पथ निर्माण विभाग में सम्बद्ध पथ के स्थानान्तरण का सम्प्रति कोई विचार नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0– 85/2012 8446(5) राँची/दिनांक : 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3386 दिनांक 28.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0– 85/2012 8446(5) राँची/दिनांक : 04.12.12

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

87

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री रामचन्द्र बैठा द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–01

प्रश्नकर्त्ता श्री रामचन्द्र बैठा, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि रांची जिलान्तर्गत बुढ़मू प्रखंड अन्तर्गत भाट बोड़ेया से खरकू टोला पतरातू हेसलपीटी होते हुए कोराबार तक ग्रेड–1 पथ का कालीकरण नहीं होने के कारण गाड़ियों का परिचालन तो दूर आम जनता को पैदल चलना मुश्किल है ;	1– स्वीकारात्मक।
2– यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जनहित में उक्त जर्जर ग्रेड–1 पथ का कालीकरण करना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2– उक्त पथ निविदा प्रक्रिया में है। निविदा निस्तारित होते ही कालीकरण का कार्य करा दिया जायेगा।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1231 / 2012.....3298.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3293 दिनांक–26.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.12
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1231 / 2012.....3298.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.12.12
सरकार के अवर सचिव

89

श्री राम चन्द्र बैठा, मा० स० वि० द्वारा दिनांकः 05.12.2012 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–01.

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		उप मुख्य (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर–
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत खलारी प्रखण्ड के राय चूरी में जलमीनार बनकर तैयार है, लेकिन लोगों को पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा हैः	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। खेलारी प्रखण्ड के राय बाजार में वर्ष 1977–78 में बिहार सरकार के समय पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण प्ररम्भ किया गया था जो अधूरा रह गया। इस कार्य में जलमीनार का कार्य भी प्रारम्भ किया गया तथा वह भी अधूरा रह गया।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त जलमीनार को चालू करा कर लोगों को पानी मुहैया कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	यहाँ नई जलापूर्ति योजना के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2012–13 में दी गई है जिसकी लागत रू० 3,28,56,400/– है। जिसके लिए एकबार निविदा आमंत्रित की गई जिसमें किसी निविदाकार ने भाग नहीं लिया। पुनः दूसरी निविदा आमंत्रित की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 5/ता०प्र०–05/12 ५९५४ राँची/दिनांकः 3.12.12

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांकः 3299, दिनांकः 26.11.2012 के क्रम में उत्तर की आवश्यक प्रतियां अग्रसारित।

3/12/12

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(90)

मान0, स0वि0स0, कमलेश उराँव द्वारा दिनांक 05.12.2012 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि गुमला जिला में बाईपास पथ न होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ; 2 क्या यह बात सही है कि 2003 में गुमला बाईपास पथ स्वीकृत हो चुकी है, तथा पथ निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ करनी है ; 3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार जमीन अधिग्रहण का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कर वाईपास पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	राष्ट्रीय उच्च पथ द्वारा बाईपास निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत किये जाने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति रु0 12.939 करोड़ के लिए संसूचित की गई है। भू–अर्जन हेतु राशि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गुमला को उपलब्ध करा दी गयी है। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या – 78 एवं राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या – 23 को जोड़ने वाली गुमला बाईपास पथ का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (D.P.R) ₹ 6637.25 लाख का मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 1109 दिनांक 13.07.2012 के द्वारा महानिदेशक, सड़क विकास एवं विशेष सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। गुमला बाईपास पथ हेतु भूमि अधिग्रहण तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उक्त बाईपास पथ के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के पश्चात अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0– 81/2012 8445(S) राँची/दिनांक : 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3390 दिनांक 28.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0– 81 /2012 8445(S) राँची/दिनांक : 04.12.12

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(93)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–05.12.12 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या नं0–03 का उत्तर :–

क्रं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पार्क को आम जनता के लिए वर्ष 2012 में समर्पित कर दिया है, जिसमें लाईट का अभाव है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पार्क नगर पंचायत, हुसैनाबाद को हस्तानान्तरित नहीं है। प्रखण्ड कार्यालय के द्वारा एक हाई मास्क लाईट लगा हुआ है जो पार्क के समीप है। इतना ही नहीं, विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-87 दि०-01.11.12 द्वारा पार्को के सौन्दर्यीकरण हेतु हुसैनाबाद नगर पंचायत को 1,25,634/- (एक लाख पच्चीस हजार छः सौ चौत्तीस) रू० एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-85 दि०-01.11.12 द्वारा 4,40,039/-(चार लाख चालीस हजार उनचालीस) रू० स्वीकृत किया गया है। पथ प्रकाश मद् में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-63 दि०-27.09.12 द्वारा 2,08,645/- (दो लाख आठ हजार छः सौ पैंतालिस) रू० एवं स्वीकृत्यादेश सं०-65 दि०-27.09.12 के द्वारा 65,264/-(पैंसठ हजार दो सौ चौसठ) रू० स्वीकृत किया गया है। पार्क में हाई मास्क लाईट लगाने एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में नगर पंचायत हुसैनाबाद का बोर्ड ही निर्णय ले सकता है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड परिषर स्थित पार्क में दो अदद् हाई मास्क लाईट लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों,	उपर्युक्त कण्डिका में स्थिति वर्णित है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांक :– 4/न0वि0/तारांकित/विधान सभा–35/12 6376/ राँची, दिनांक :– 04/12/12

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3401 दि0–28.11.12 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

(राम नारायण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(94)

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री प्रदीप यादव द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–03

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के महागामा प्रखंड अन्तर्गत विश्वासखानी नदी पर पुल एवं परसा–विश्वासखानी सड़क निर्माण विगत कई वर्षों से लंबित पड़ा है जिसके कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	1. स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त पुल एवं सड़क का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	2. पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है। परसा विश्वासखानी पथ निविदा प्रक्रिया में है।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1233 / 2012.....3297.....राँची, दिनांक.....04.12.12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3294 दिनांक–26.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.12

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1233 / 2012.....3297.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.12.12

सरकार के अवर सचिव

(95)

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री अरूण मंडल द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–04

प्रश्नकर्त्ता श्री अरूण मंडल, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत उधवा प्रखंड के केलाबाड़ी अतापुर आर0ई0ओ0 पथ जर्जर अवस्था में है, जिसमें आमजन को आवागमन में कठिनाईयां हो रही है ;	1– स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के मरम्मति एवं मजबूतीकरण हेतु 7 वर्ष पूर्व निविदा निकाली गयी थी, लेकिन पथ का काम अभी तक पूरा नहीं कराया जा सका है ;	2– स्वीकारात्मक। पथ के जीर्णोद्वार हेतु वर्ष 2007 में संवेदक के साथ दिनांक 02.03.07 को एकरारनामा किया गया था, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के फलस्वरूप एकरारनामा विखंडित कर जमानत की राशि जब्त कर ली गयी है।
3– यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त पथ का मरम्मति एवं मजबूतीकरण कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3– शेष पथांश का निर्माण करा दिया जायेगा।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1234 / 2012.....3294.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3290 दिनांक–26.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.12
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1234 / 2012.....3294.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.12.12
सरकार के अवर सचिव

96

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री विद्युत वरण महतो द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–07

प्रश्नकर्त्ता श्री विद्युत वरण महतो, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाकुलिया प्रखंड के चाकुलिया–जोड़ाम मुख्य पथ भांडारू से बिहारीपुर होते हुए दुबराजपुर तक सड़क काफी जर्जर है ;	1– स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि बरसात के दिनों में ग्रामीणों को मुख्यालय आने–जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	2– स्वीकारात्मक।
3– यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2– वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग में निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक मा0 स0वि0स0 की अनुशंसा के आलोक में 10–10 कि0मी0 पथ के निर्माण/मरम्मति का नीतिगत निर्णय लिया गया है। मा0 स0वि0स0 की अनुशंसा के आलोक में विचाराधीन पथों में प्रश्नाधीन पथ शामिल नहीं है।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1243/2012.....3299.....राँची, दिनांक.....04.12.12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3398 दिनांक–28.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.12

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1243/2012.....3299.....राँची, दिनांक.....04.12.12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.12.12

सरकार के अवर सचिव

97

श्री विद्युतवरण महतो, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 05

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विद्युतवरण महतो, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत प्रखण्ड के वर्णीपाल जाने वाले पथ पर पुलिया नहीं है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि पुलिया नहीं रहने से वहाँ के ग्रामीणों का बरसात के दिनों मे आवागमन बाधित हो जाती है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इन रास्ते पर पुलयिा निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 05 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 424 / 2012 9007 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04·12·12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3410 दिनांक 28.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 424 / 2012 9007 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04·12·12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त / सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)–424 / 2012 9007 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04·12·12

प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

98

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 10

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत माण्डू प्रखंड के आरा बोंगाहारा के बीच चौथा नदी पर पुल की अभाव में प्रतिवर्ष जान–माल की क्षति होती है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार चालू वित्तीय वर्ष में पुल निर्माण कराने की विचार रखती है यदि नहीं तो क्यों ?	तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 10 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 432/2012 8990 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3416 दिनांक 29.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 432/2012 8990 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12
प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त/सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 432/2012 8990 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12
प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 08

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत खरौंधी के सिसरी पंचायत के ग्राम बनखेता में डोमनी नदी पर छलका के नीचे पुल का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उपरोक्त स्थल पर पुल निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 08 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 426 / 2012 9009 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3407 दिनांक 28.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 426 / 2012 9009 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12
प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त / सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 426 / 2012 9009 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12
प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

100

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री गुरूचरण नायक द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–11

प्रश्नकर्त्ता श्री गुरूचरण नायक, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि पं0 सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर सड़क डिविजन में आनन्दपुर से रोबोकेरा होते हुए साड़ीबाद पी0डब्लू0डी0 सड़क तक 23 कि0मी0 अति जर्जर अवस्था में है ;	1– स्वीकारात्मक।
2–क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क मनोहरपुर एवं चाईबासा आने–जाने के लिए एक मात्र सड़क है ;	2– स्वीकारात्मक।
3–क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ;	3– स्वीकारात्मक।
4– यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4– वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक मा0 स0वि0स0 की अनुशंसा के आलोक में 10–10 कि0मी0 पथ के निर्माण की कार्रवाई का नीतिगत निर्णय लिया गया है। मा0 स0वि0स0 की अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित पथ में उक्त पथ शामिल नहीं है।

झारखंड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1238 / 2012.....3296.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3394 दिनांक–28.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.12
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1238 / 2012.....3296.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.12.12
सरकार के अवर सचिव

(101)

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–06

प्रश्नकर्त्ता श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला मुख्यालय में वर्ष 2005 में विभागीय अंचल कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी;	1– स्वीकारात्मक।
2–क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला का विभागीय कार्यों का संचालन रांची स्थित विभागीय अंचल कार्यालय से होता है जिसके कारण संबंधित कार्यों में काफी समय लगती है ;	2– आंशिक स्वीकारात्मक।
3–क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यालय हेतु तत्कालीन उपायुक्त, गिरिडीह ने संबंधित विभाग को भवन उपलब्ध करा चुकी है, फिर भी अब तक उक्त कार्यालय विभागीय लापरवाही के कारण नहीं खुली है;	3–भवन आवंटन से संबंधित सूचना कार्य प्रमंडल, गिरिडीह को प्राप्त नहीं है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जनहित में उक्त अति महत्वपूर्ण सड़क को अविलंब कालीकरण करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4–उपायुक्त, गिरिडीह से भवन आवंटित हो जाने पर विभाग को गिरिडीह अंचल कार्यालय, गिरिडीह में खोलने में कोई आपत्ति नहीं है।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1244 / 2012.....3288.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3399 दिनांक–28.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.12

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1244 / 2012.....3288.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04.12.12

सरकार के अवर सचिव

102

श्रीमती कुन्ती देवी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–न–01, का उत्तर सामग्री

क्या मंत्री, नगर विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि नगर विकास विभाग के ज्ञापांक–1135 दि०–16.03.10, के माध्यम से सरकार भी मान चुकी है कि धनबाद जिलान्तर्गत झरिया सिन्दरी मुख्य पथ से सटे कुलटांड़ (चन्द्रवाद) बस्ती के लोगों के लिए रास्ता नहीं है, सरकार के सड़क निर्माण हेतु इच्छुक रहने के बावजूद भी लगभग दो वर्ष बीतने के बाद भी सड़क निर्माण नहीं हो पाया है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि रेल मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने एवं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है;	मंडलीय रेल प्रबंधक, धनबाद से धनबाद नगर निगम कार्यालय के पत्रांक–2418 दिनांक–01.12.12 से संबंधित भूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र की मांग की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार रेल मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने एवं भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करते हुए कुलटांड़ बस्ती के लोगों के आवागमन हेतु सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। रेलवे से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यावाही की जायगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक– 6390. न०वि०/राँची, दिनांक– 04-12-12.

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3403 दिनांक–28.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/12/2012
(राम नारायण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

103

श्री सुरेश पासवान, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को
पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 11

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सुरेश पासवान, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के प्रखण्ड देवघर के पंचायत केनमनकाढ़ी में सिकदारडीह एवं बदिया के बीच डढ़वा नदी पर पुल नहीं है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि नदी पर पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन बरसात के महीनों में नारकीय बन जाता है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित नदी पर पुल बनवाना चाहती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 11 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 433 / 2012 8996 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3417 दिनांक 29.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 433 / 2012 8996 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12
प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त / सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 433 / 2012 8996 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12
प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

(104)

श्री दुल्लु महतो,माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न0–02 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम में 55 वार्ड है जिसमें 8 वार्ड बाघमारा विधान सभा क्षेत्र में है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम के सफाई का ठेका ए टु जेड कंपनी को दिया गया है जो 55 करोड़ रूपये का है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह कि योजना की लागत राशि 55.00 करोड़ की है परन्तु ए टू जेड कंपनी को तत्काल 35.00 करोड़ का कार्यादेश निर्गत किया गया है।
3. क्या यह बात भी सही है कि उक्त कंपनी द्वारा सिर्फ वार्ड संख्या–20,24,30 में ही सफाई किया जा रहा है जिससे क्षेत्र के मुख्य व्यवसाईक केन्द्र कतरास एवं अन्य वार्डो में गंदगी से जीवन नारकीय हो गया है ;	ए टु जेड कंपनी के द्वारा परीक्षण के तौर पर 3 वार्डो में मुख्यतः कार्य लिया जा रहा है अन्य वार्डो में भी कार्य जल्द शुरू होने वाला है। अन्य वार्डो में पूर्व की भांति निगम द्वारा विशेष सफाई, मजदूरों से करायी जाती रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार धनबाद नगर निगम अंतर्गत बाघमारा विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले वार्डो में सफाई कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	धनबाद नगर निगम अंतर्गत 55 वार्डो में कार्य किया जाना है। ए टु जेड कंपनी के द्वारा सर्वे किया जा रहा है और यथाशीघ्र सफाई का कार्य कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः–2/न0वि0/वि0स0प्र0–57/2012 - 6379 **राँची , दिनांक–** 04-12-12 .

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –3402 दिनांक–28.11.2012 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/12/2012

सरकार के उप सचिव।

D.Dec.2012

(105)

श्री जगरनाथ महतो, मा0 स0 वि0 स0 से चलते सत्र में दिनांक– 05.12.12 के लिए प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–पंचा–1

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता–माननीय उप मुख्य मंत्री–सह– मंत्री, ग्रा0वि0वि0
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड की नौ पंचायते–(1) मंगो–रांगमाटी (2) पोखरिया (3) पेंक (4) गोनियाटो (5) काछों (6) कंजकिरों (7) नारायणपुर (8) पलामू (9) बरई, जो पूर्ण उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है कि दूरी प्रखण्ड मुख्यालय नावाडीह से लगभग 30–35 कि0मी पर अवस्थित है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों से आम लोगों को प्रखण्ड मुख्यालय आने–जाने में काफी असुविधा होती है, जिससे विकास कार्य से क्षेत्र वंचित रह जाता है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, सरकार ऊपर वर्णित नौ (9) पंचायतों को मिलाकर उपरघाट में नया प्रखण्ड का सृजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों ?	ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या–6581, दिनांक–27.10.2011 द्वारा विहित प्रक्रिया निरूपित करते हुए स्मार पत्र संख्या–1201, दि0–28.02.12 द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विचार–विमर्श कर नये प्रखण्ड सृजन का प्रस्ताव की मांग सभी उपायुक्त/उपविकास आयुक्त से प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से की गई है। वर्तमान में विभागीय पत्रांक–8126 (अनु0) दि0–05.10.12 द्वारा प्रखण्ड सृजन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायगा।

5/12/12

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक.....9006...../ग्रा0वि0 राँची, दिनांक.....04.12.12

1–वि0स0–91 (बी0)/2012 ग्रा0वि0

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–3301, दिनाक–26.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक.....9006...../ग्रा0वि0 राँची, दिनांक.....04.12.12

1–वि0स0–91 (बी0)/2012 ग्रा0वि0

प्रतिलिपिः– माननीय, स0 वि0 स0, श्री जगरनाथ महतो के आप्त सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

106

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 01

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड के सीता–नाला में योगीडीह और हेठनगर के बीच पुल निर्माण नहीं हुआ है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त नाला में पुल निर्माण नहीं होने से आमलोगों को काफी असुविधा होती है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त स्थल पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 01 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 420 / 2012 9010 / ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3295 दिनांक 26.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 420 / 2012 9010 / ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त / सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 420 / 2012 9010 / ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

107

श्री जनार्दन पासवान, मा0 स0 वि0 स0 से चलते सत्र में दिनांक– 05.12.12 के लिए प्राप्त तारांकित प्रश्न ग्राम–6

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता–माननीय उप मुख्य मंत्री–सह– मंत्री, ग्रा0वि0वि0
1. क्या यह बात सही है कि कुन्दा, प्रतापपुर, हण्टरगंज, चतरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद रिक्त है, इस कारण प्रखण्ड वासियों के कार्य में काफी बाधा उत्पन्न होती है तथा ग्रामीणों में व्यापक आक्रोश है।	स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उपर वर्णित प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रिक्त पदों पर पदाधिकारी पदस्थापित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ग्रा0वि0वि0, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–4967 दि0–17.08.11 के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–5423 दि0–10.09.11 द्वारा संसूचित किया गया है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को झा0प्र0से0 में नियुक्ति हेतु भेजी गयी अधियाचना के विरूद्ध आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु मूल कोटि के पदाधिकारियों की सेवा सौंपी जायेगी। अर्थात् पदाधिकारी की सेवा प्राप्त होने पर नियमित पदस्थापन कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 8989 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक 04.12.12
1–वि0स0–90 (बी0)/2012 ग्रा0वि0

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–3409, दिनाक–28.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 8989 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक 04.12.12
1–वि0स0–90 (बी0)/2012 ग्रा0वि0

प्रतिलिपिः– माननीय, स0 वि0 स0, श्री जनार्दन पासवान के आप्त सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

(108)

मान0, स0वि0स0, श्री मन्नान मल्लिक द्वारा दिनांक 05.12.2012 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– पथ 03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1 क्या यह बात सही है कि धनबाद में 20 से 25 वर्ष पहले हीरक परियोजना के तहत काको–तेतुलमारी–भूली–धनबाद–बलियापुर एवं काको–तेतुलमारी भूली एक्सटेनशन पथ जो वासेपुर से विनोद बिहारी चौक होते हुए निरंकारी चौक (वरवाअड्डा) तक जाती है का निर्माण हुआ था;	1. स्वीकारात्मक ।
2 क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा काको तेतुलमारी–भूली–धनबाद–वलियापुर पथ को अपने अधीन कर लिया है और एक्सटेंशन पथ वासेपुर से निरंकारी चौक तक भी हीरक परियोजना द्वारा निर्मित्त पथ को अपने अधीन नही लेने के कारण वासेपुर, पाण्डरपाला, भूली इत्यादि जगहों में रहने वाले लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइ में रहने वाले लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ;	भूली एक्सटेंशन पथ का निर्माण हीरक परियोजना द्वारा कराया जा रहा था । परन्तु इस पथ का कार्य आधा – अधूरा कराकर छोड़ दिया गया था । वर्त्तमान में हीरक परियोजना का कोई अस्तित्व नही है । इस पथ के अधिग्रहण पर विचार किया जा रहा है ।
3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक है तो सरकार उक्त एक्सटेंशन पथ का पथ निर्माण विभाग के अधीन कर पथ का मरम्मति करने का विचार रखती है यदि हॉ तो कब तक नही तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0– 80/2012 8444(S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3289 दिनांक 26.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 08–ता0प्र0– 80/2012 8444(S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

109

माननीय स0वि0स0 माधवलाल सिंह से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–पंचा–2

प्रश्नकर्ता माननीय स0वि0स0 माधवलाल सिंह	उत्तरदाता माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री (श्री सुदेश कुमार महतो)
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा सभी पंचायत में विधि सलाहकार का मनोनयन किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक । पंचायती राज विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य के किसी भी पंचायत में विधि सलाहकार के मनोनयन का प्रस्ताव नहीं है ।
(2) क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया, पेटरवार तथा कसमार प्रखण्डों के सभी पंचायतों में अभी तक विधि सलाहकार का मनोनयन नहीं किया गया है ;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बोकारो जिला के गोमिया, पेटरवार तथा कसमार प्रखण्डों के सभी पंचायतों में विधि सलाहकार का मनोनयन करना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग

ापांक :– 1 स्था (वि0)–196/2012 3043 /, रॉची, दिनांक :– 4/12/12

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को नके ज्ञाप संख्या 3414 दिनांक 29.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12
सरकार के अवर सचिव

ापांक :– 1 स्था (वि0)–196/2012 3043 /, रॉची, दिनांक :– 4/12/12

प्रतिलिपिः– मंत्री संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

04/12/12
सरकार के अवर सचिव

110

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री फूलचन्द मंडल द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–05

प्रश्नकर्त्ता श्री फूलचन्द मंडल, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के गोविन्दपुर प्रखंड के अन्तर्गत लालबंगला से जी0टी0 रोड भाया जियलगढ़ा तक पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर है ;	1– स्वीकारात्मक।
2–क्या यह बात सही है कि सिन्दरी विधान सभा क्षेत्र के बलियापुर प्रखंड के अन्तर्गत प्रधानखंता पी0डब्लूडी0 मुख्य पथ से कोडरी रोड भाया ब्राह्मणडीहा तक पथ की स्थिति काफी जर्जर है ;	2– स्वीकारात्मक।
3–क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों ग्रामीण पथ ग्रामों एवं पंचायतों को प्रखंड एवं जिला मुख्यालयों से जोड़ती है ;	3– स्वीकारात्मक।
4– यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त ग्रामीण पथों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4–वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग में निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक मा0 स0वि0स0 की अनुशंसा के आलोक में 10–10 कि0मी0 पथ के निर्माण/मरम्मति का नीतिगत निर्णय लिया गया है। मा0 स0वि0स0 की अनुशंसा के आलोक में विचाराधीन पथों में उक्त दोनों पथ शामिल नहीं है।

झारखंड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1230/2012.....3270.....राँची, दिनांक.....03-12-12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3291 दिनांक–26.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.12.12
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1230/2012.....3270.....राँची, दिनांक.....03-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03.12.12
सरकार के अवर सचिव

(111)

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–02

प्रश्नकर्त्ता श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत रंका प्रखंड से सोनदाग होते हुए 22 प्लॉट तक सड़क का कालीकरण अभी तक नहीं हुआ है ;	1– स्वीकारात्मक।
2–क्या यह बात भी सही है कि उक्त महत्वपूर्ण पथ का कालीकरण नहीं होने से ग्रामीणों को यातायात में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ;	2– स्वीकारात्मक।
3– यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जनहित में उक्त अति महत्वपूर्ण सड़क को अविलंब कालीकरण करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3–वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग में निधि की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक मा0 स0वि0स0 की अनुशंसा के आलोक में 10–10 कि0मी0 पथ के निर्माण/मरम्मति का नीतिगत निर्णय लिया गया है। मा0 स0वि0स0 की अनुशंसा के आलोक में विचाराधीन पथों में उक्त पथ शामिल नहीं है।

झारखंड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1232/2012.....3272.....राँची, दिनांक.....03-12-12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3292 दिनांक–26.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.12.12
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1232/2012.....3272.....राँची, दिनांक.....03-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

03.12.12
सरकार के अवर सचिव

(112)

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्ठा द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–8

प्रश्नकर्त्ता श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि खूंटी तमाड़ मुख्य पथ से हितुटोला भाया सारीदकेल धाधरा, बिचना मुख्य पथ से बिरमकेल भाया दारला, खूंटी, तोरपा मुख्य पथ से राजा कुंजला सक कुंजला, खूंटी हुटार भाया गुटजोरा से एरेण्डा पथ का निर्माण कार्य 2 वर्षों से बंद है ;	1– आंशिक स्वीकारात्मक।
2– यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त पथों का निर्माण कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2– मार्च 2013 तक कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1246 / 2012.....3287.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3397 दिनांक–28.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.12

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1246 / 2012.....3287.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(114)

श्री फूलचन्द मण्डल, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 04

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचन्द मण्डल, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अंतर्गत बरवा–केशका पथ सुग्गी जोरीया में सभारी एवं यादवपुर के मध्य छिछला पुलिया है जिस पर बरसात के दिनों में सात से आठ फीट पानी का बहाव होता है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित होता है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि ये दोनों पथ गोविन्दपुर एवं टुण्डी प्रखण्डों के सड़कों ग्रामों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो राज्य सरकार उक्त जोरिया पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों नहीं ?	तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 04 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 423 / 2012 9001 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3296 दिनांक 26.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 423 / 2012 9001 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त / सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

04/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 423 / 2012 9001 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

04/12/12

सरकार के उप सचिव।

श्री शशांक शेखर भोक्ता, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 02

115

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री शशांक शेखर भोक्ता, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि देवघर जिले के पालोजोरी प्रखण्ड में 1. पिछड़ी– घोरमारा, 2. डुमरिया–सिमलगढ़ा, 3. घोरमारा–फतेहपुर, 4. सिमलगढ़ा–शंखपाड़ा, 5. कोलगी–बैठीडंगाल, 6. बरमशोली–लखनपुर, 7. पथरघटिया–बड़ा–डुमरिया, 8. मुर्गाबनी–डुमरिया आदि स्थानों में पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीण आबादी सम्पर्क विहीन है तथा बरसात के दिनों में एक बड़ी आबादी पंचायत, प्रखण्ड तथा जिला मुख्यालय से अलग–थलग पड़ जाती है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त आठ स्थलों पर पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम– 2 की कण्डिका 1, 3, 6, 7 एवं 8 में अंकित पुलों का निर्माण का प्रस्ताव सरकार के प्रक्रियाधीन है एवं कण्डिका– 2, 4, एवं 5 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 421/2012 9011 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3298 दिनांक 26.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 421/2012 9011 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त/सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 421/2012 9011 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

117

श्री चन्द्रशेखर दूबे, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 13

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री चन्द्रशेखर दूबे, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रखंड स्थित ग्राम सुन्डीपुर से कोयल नदी पर ग्राम पंनसा तक पुल का निर्माण नहीं होने से लगभग 50 हजार लोगों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल निर्माण के लिए (डी0पी0आर0) तैयार हो चुका है और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रत्याशा में यह कार्य चार माह से लम्बित है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत इस कार्य को प्रारम्भ करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम– 13 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 435 / 2012 9014 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3419 दिनांक 29.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 435 / 2012 9014 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त / सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 435 / 2012 9014 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

(118)

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री संजय कुमार सिंह यादव द्वारा सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम्य–10

प्रश्नकर्त्ता श्री संजय कुमार सिंह यादव, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद प्रखंड के ग्रम बुधुवा से मंगलडीह होते हुए धोड़बांध सोनधार तक पथ का निर्माण नहीं कराया गया है ;	1– स्वीकारात्मक।
2–क्या यह बात सही है कि खण्ड । में वर्णित ग्राम बुधुवा से मंगलडीह होते हुए धोड़बांध सोनधार तक पथ से तीन पंचायत के लोग प्रतिदिन आवागमन करते है ;	2– स्वीकारात्मक।
3– यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बुधुवा से मंगलडीह होते हुए धोड़बांध सोनधार तक पथ निर्माण कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3– प्रश्नाधीन पथ का प्राक्कलन प्रक्रियाधीन है।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1239 / 2012.....3295.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3395 दिनांक–28.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1239 / 2012.....3295.....राँची, दिनांक.....04-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

04/12/12

सरकार के अवर सचिव

119

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0 स0 वि0 स0 से चलते सत्र में दिनांक– 05.12.12 के लिए प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–09

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता–माननीय उप मुख्य मंत्री–सह– मंत्री, ग्रा0वि0वि0
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के चुरचू प्रखण्ड अंतर्गत दिगवार को नव निर्मित प्रखण्ड दारू में कर दिया गया है जिससे आम नागरिकों को आवागमन में बहुत कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है जबकि भौगोलिक दृष्टिकोण से चुरचू प्रखण्ड की दूरी कम पड़ता है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2. यदि खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए दिगवार को दारू से हटाकर चुरचू प्रखण्ड में शामिल रखने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्र संख्या–3409 (अनु0) दिनांक–21.05.2012 द्वारा विहित प्रक्रिया निरूपित करते हुए पत्र संख्या–8961, दि0–01.12.12 द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विचार–विमर्श कर प्रस्ताव की मांग उपायुक्त/उपविकास आयुक्त, हजारीबाग से प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से की गई है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जायगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 9005 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक 04·12·12
1–वि0स0–92 (बी0)/2012 ग्रा0वि0

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–3415, दिनाक–29.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 9005 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक 04·12·12
1–वि0स0–92 (बी0)/2012 ग्रा0वि0

प्रतिलिपिः– माननीय, स0 वि0 स0, श्री जय प्रकाश भाई पटेल के आप्त सचिव / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/12

सरकार के उप सचिव।

श्री निजामुद्दीन अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-05/12/12 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-भ-01

क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम सं	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्री रास बिहारी प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल राँची-2 द्वारा 2011 में माननीय सदस्यों के आवास मरम्मति कार्य में अनियमितता बरतने के कारण अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग के जाँच प्रतिवेदन, पत्रांक संख्या-853(ई0) अनु० दिनांक-15/12/2011 के आलोक में इनका स्थानान्तरण राँची-2 से गढ़वा किया गया ।	नकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि श्री सिंह पुनः गढ़वा से भवन प्रमंडल संख्या-1, राँची में दिनांक-04/07/2012 से कार्यरत है, जबकि स्थानांतरण/पदस्थापन समिति के नियमन-1, 2 के अनुसार श्री सिंह को पुनः उसी जोन भवन प्रमंडल राँची-1 में दोबारा पदस्थापन नियम का उल्लंघन है।	आंशिक स्वीकारात्मक । श्री रास बिहारी प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गढ़वा का स्थानांतरण कार्यहित में भवन प्रमंडल संख्या-1, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार श्री सिंह का स्थानांतरण राँची-1 से अन्यत्र करने इनके विरुद्ध राजकीय कोष गबन करने का मुकदमा दर्ज करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रश्न नही उठता है। भवन प्रमंडल संख्या-2, राँची, भवन अंचल संख्या-2, राँची के अधीन है। इसी प्रकार भवन प्रमंडल संख्या-1, राँची, छोटानागपुर भवन अंचल, राँची के अधीन है।

झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक:- भ03-विधायी-44/12 2329(भ) राँची, दिनांक- 3.12.12

प्रतिलिपि :-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-3300 दिनांक-26/11/12 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों (दो सौ प्रतियो) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक:-भ03-विधायी-44/12 2329(भ) राँची, दिनांक- 3.12.12

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग को विधान सभा स्थित कार्यालय कोषांग/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को पाँच-पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची ।